पत्रांक 2159 आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर0/विधि–अनु0/2015–16

कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून:: दिनांक: 25 जुलाई, 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी उत्तराखण्ड।

विषय:– e-Form 16 जारी/प्रयोग करने सम्बन्धी।

मुख्यालय के पत्र संख्या 1391/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि अनु0/2015–16 दिनॉक 06–06–2015 के द्वारा e-Form 16 जारी / प्रयोग करने सम्बन्धी परिपत्र जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा व्यापारियों को आयात किये जाने हेतु दिये जाने वाले फार्म–16 के सम्बन्ध में साफ्टवेयर विकसित किये जाने के क्रम में व्यापारी को बिना कार्यालय में आये फार्म–16 हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन देने की सुविधा दी गयी है। इसके अन्तर्गत अधिकारी द्वारा भी फार्म–16 ऑनलाईन ही जारी किये जायेगें। इसके अतिरिक्त उक्त परिपत्र के माध्यम से निम्न व्यवस्था परिचालित की गयी थी :–

1– इस सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा अपने Login Password से फॉर्म हेतु आवेदन किया जायेगा, तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने Login Password से अपने कार्यालय में सॉफ्टवेयर द्वारा e-Form 16 जारी किये जाएंगे।

2– इस प्रक्रिया में व्यापारी को वर्तमान में जारी होने वाले प्रिन्टेड फॉर्म–16 जारी नहीं किये जाएंगे एवं न ही व्यापारी को आयात किए जा रहे माल के साथ e-Form 16 का प्रिन्टआउट ले कर चलने की आवश्यकता होगी।

3– चूंकि व्यापारी को प्रिन्टेड फॉर्म–16 जारी नहीं किये जायेंगे इसलिये उनके द्वारा कार्यालय में भी फार्म–16 का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4– इस प्रकार जारी होने वाले e-Form 16 के लिए व्यापारी से नियम–30 के अनुसार प्रति फॉर्म धनराशि प्राप्त की जाएगी।

उक्त क्रम में प्रथम चरण में विभाग में पंजीकृत 64 ऐसे व्यापारियों को यह सुविधा प्रदान की गयी थी, जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रु0 500 करोड़ से अधिक है।

सम्यक विचारोपरान्त प्रथम चरण में विभाग में पंजीकृत 64 ऐसे व्यापारियों जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रु0 500 करोड़ से अधिक है, को दी जाने वाली इस सुविधा को विस्तारित करते हुये विभाग में पंजीकृत 297 ऐसे व्यापारियों को, जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रु0 100 करोड़ से अधिक एवं रु0 500 करोड़ तक है, को भी यह सुविधा प्रदान किये जाने विषयक संशोधन किया जाता है। **(सूची संलग्न)**

क्रमशः...2